

ई-मेल

प्रेषक

निदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

सेवामें

हरियाणा राज्य में सभी आयुक्त एवं उपायुक्त ।
हरियाणा राज्य में सभी विभागाध्यक्ष ।
हरियाणा राज्य में सभी निगमों/बोर्डों के प्रबन्धक निदेशक/मुख्य
प्रशासक ।

यादी क्रमांक 8900टीए-हर (4टी)2017/ 8801-06

दिनांक: 6/12/17

विषय:-

Regarding allotment of additional charge to Section Officers posted
in different offices.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में ।

2. प्रायः देखने में आया है कि जिन अनुभाग अधिकारियों की जिस कार्यालय/बोर्ड कारपोरेशन इत्यादि में नियमित तौर पर डियूटी लगी हुई है, उन्हें आप द्वारा अपने स्तर पर ही अपने अधीनस्थ कार्यालयों का अतिरिक्त कार्य दे दिया जाता है, जबकि अनुभाग अधिकारियों के नियोक्ताधिकारी महानिदेशक स्वयं हैं । अतः आपसे अनुरोध है कि यदि आप द्वारा किसी भी अनुभाग अधिकारी को अपने स्तर पर अपने अधीनस्थ कार्यालय का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, कृपया उन अनुभाग अधिकारियों को अपने स्तर पर दिये गये अतिरिक्त चार्ज को रद्द करते हुये इस विभाग को सूचित करने का कष्ट करें । यदि आपको अनुभाग अधिकारी की आवश्यकता है तो इस विभाग से पत्र व्यवहार करें ।

संयुक्त निदेशक,
कृते: महा निदेशक खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़ ।